





राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुकुलमो धाम  
NCTE

Northern Regional Committee

स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट

राअशिप/उक्षेस/एफ-3/जे.के.-01/बी.एड./2001/1385

दिनांक : 26.12.2001

3-1-2002

प्राचार्य,  
श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ,  
304-ए, शास्त्री नगर,  
जम्मू-180004 (जम्मू-कश्मीर)।

विषय : शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम की मान्यता के संदर्भ में।

महोदय,

आपकी संस्था के शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम की मान्यता पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 07.12.2001 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक में विचार किया गया था। समिति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 लागू नहीं होता है तथा आपकी संस्था उसी राज्य में स्थित है। अतः आपकी संस्था को परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति से मान्यता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भवदीय

(के.के. चुग)

क्षेत्रीय निदेशक